



2026:AHC:172222

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 30467 सन् 2016

माधव राम गौतम

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्युत्तरदातागण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : जय सिंह परिहार

प्रत्युत्तरदातागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

(क्रम संख्या 22)

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जय सिंह परिहार तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव को सुना।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:

“(1) उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रत्युत्तरदाता संख्या 2, 3 एवं 4 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13.02.2016, 10.08.2015 एवं 26.08.2013 (क्रमशः इस रिट याचिका के संलग्नक संख्या 9, 7 एवं 5) को निरस्त किया जाए;

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने तथा उक्त आक्षेपित आदेशों द्वारा काटे गए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।”

3. मामले के संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में सिविल पुलिस में उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। संबंधित समय अर्थात् दिनांक 21.09.2012 को याचिकाकर्ता थाना पुरामुफ्ती, जनपद कौशाम्बी में उप-निरीक्षक के पद पर तैनात था और जब

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वह बीमार हुआ, तब रपट संख्या 28 में रवानगी की प्रविष्टि दर्ज कराने के पश्चात् प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुरामुफ्ती गया। तत्पश्चात् प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उसे राजकीय चिकित्सालय, टी.बी. सप्रू, इलाहाबाद के लिए संदर्भित किया गया। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने संबंधित थानाध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी को सूचित किया और अपने उपचार के लिए चला गया। जब याचिकाकर्ता उपचार करा रहा था, उसी दौरान पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी ने दिनांक 13.10.2012 को याचिकाकर्ता का अवैध रूप से थाना पुरामुफ्ती से पुलिस लाइन, कौशाम्बी स्थानांतरण कर दिया और तत्पश्चात् उसका स्थानांतरण जी.आर.पी. झाँसी कर दिया गया। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष रिट याचिका (एस/एस) संख्या 749 सन् 2013 (माधव राम गौतम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) दाखिल की, जिसे दिनांक 13.02.2013 को निस्तारित कर दिया गया। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद से फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद कार्यभार ग्रहण करने के लिए पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी से संपर्क किया। तथापि, उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद उसने अवमानना याचिका दाखिल की और उक्त अवमानना याचिका के अनुसरण में याचिकाकर्ता को दिनांक 16.04.2013 को पुलिस लाइन, कौशाम्बी में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता के विरुद्ध 184 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में प्रारंभिक जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता बीमारी के कारण अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित था और इस संबंध में उसने स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने उच्चाधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया था तथा फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् पुलिस लाइन, कौशाम्बी में कार्यभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में, जांच रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई कि याचिकाकर्ता को 184 दिनों का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जाए।

4. चैल, कौशाम्बी के क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त स्पष्ट जांच रिपोर्ट के बावजूद याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप निर्धारित किया गया और आरोप-पत्र की तामील तथा याचिकाकर्ता का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात्, जिसमें चिकित्सा प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र तथा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रतिवादियों को भेजी गई सूचना संलग्न थी, जांच अधिकारी ने जांच पूर्ण की और संस्तुति की

कि याचिकाकर्ता को दिनांक 21.09.2012 से 20.02.2013 तक की अवधि के लिए, कुल 153 दिनों का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जाए तथा शेष अवधि अर्थात् दिनांक 21.02.2013 से 16.04.2013 तक, अर्थात् कुल 55 दिनों की अवधि, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई थी, के संबंध में उचित आदेश पारित किया जाए। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह गलत निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता दिनांक 21.09.2012 से 20.02.2013 तक 153 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति का दोषी पाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, कारण बताओ नोटिस में यह पूछा गया कि उक्त 153 दिनों का वेतन क्यों न रोक दिया जाए। इसके प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता द्वारा विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी ने दिनांक 30.07.2013 के आदेश द्वारा उस 55 दिनों की अवधि के लिए अर्जित अवकाश स्वीकृत कर दिया, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तथापि, दिनांक 26.08.2013 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा अभिलेखों के आधार पर उसे चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने के बजाय 153 दिनों के लिए बिना वेतन अवकाश स्वीकृत कर दिया गया।

5. इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात् पुलिस उपमहानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद के समक्ष अपील दाखिल की, जिसे दिनांक 10.08.2015 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् अपीलीय आदेश से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, जिसे भी दिनांक 13.02.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एक बार याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई प्रारंभिक जांच के साथ-साथ अंतिम जांच में भी स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता अपनी चिकित्सीय स्थिति के कारण अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित था, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा प्रतिवादियों को भेजी गई सूचना का जांच अधिकारी द्वारा पहले ही संज्ञान लिया गया था और जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को



चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किए जाने की संस्तुति भी की गई थी। इसके बावजूद, कारण बताओ नोटिस जारी करके आगे की कार्यवाही प्रारंभ की गई और याचिकाकर्ता को चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने के बजाय बिना वेतन अवकाश स्वीकृत कर दिया गया।

7. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता दोनों जांच अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष का खंडन करने की स्थिति में नहीं हैं कि याचिकाकर्ता अपनी चिकित्सीय स्थिति के कारण अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित था, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत् चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा अपनी बीमारी के संबंध में सूचना भी याचिकाकर्ता द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को भेजी गई थी।

8. ऐसी स्थिति में, आक्षेपित आदेश दिनांक 26.08.2013 तथा अपीलीय प्राधिकारी एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश किसी आधार एवं तर्क पर आधारित नहीं हैं। प्रतिवादियों का यह कर्तव्य था कि याचिकाकर्ता को चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करते, जो याचिकाकर्ता को विधिवत् उपलब्ध था।

9. ऐसी स्थिति में, वर्तमान याचिका **स्वीकृत** की जाती है।

10. प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को दिनांक 21.09.2012 से 20.02.2013 तक 153 दिनों का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करें तथा उक्त अवधि के वेतन सहित सभी परिणामी लाभ इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान करें।

(न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता)

14 अगस्त, 2026

आशीष पी.डी.